न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः सुश्री अंजु शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 164/2021

उनवान

1) गटु पिता लालु जाति भील उम्र वयस्क निवासी उदेला तहसील अरथुना जिला बांसवाडा (राज.) ।

:–वादी

बनाम

1) कमलीया पिता बकोर प्रजापत जाति प्रतापत उम्र वयस्क निवासी उदेला तहसील अरथुना जिला बांसवाडा (राज.)

2) श्रीमान् तहसीलदार साहब अरथुना जिला बांसवाडा (राज.) ।

:– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत – 188, 209 रा.का.अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 12/01/2023

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी एवं उसके भाईयो की संयुक्त खातेबन्दी कृषि भूमि खाता संख्या 64 नया 49 पुराना के आराजी नम्बर 108 रकबा 0.06 हेक्टर, 109 रकबा 0.10 हेक्टर, 190 रकबा 0.06 हेक्टर, 191 रकबा 0.05 हेक्टर, 192 रकबा 0.04 हेक्टर, 193 रकबा 0.16 हेक्टर, 207 रकबा 0.20 हेक्टर, 209 रकबा 0.09 हेक्टर, 216 रकबा 0.02 हेक्टर, 220 रकबा 0.13 हेक्टर, 226 रकबा 0.09 हेक्टर, 227 रकबा 0.11 हेक्टर, 370 रकबा 0.06 हेक्टर, 374 रकबा 0.09 हेक्टर, 375 रकबा 0.14 हेक्टर, 401 रकबा 0.41 हेक्टर, 425 रकबा 0.05 हेक्टर, 463 रकवा 0.04 हेक्टर, 464 रकबा 0.03 हेक्टर, 586 रकबा 0.12 हेक्टर, 587 रकबा 0.05 हेक्टर, 595 रकबा 0.16 हेक्टर, 646 रकबा 0.15 हेक्टर, 647 रकबा 0.16 हेक्टर, 659 रकबा 0.13 हेक्टर, 739 रकबा 0.25 हेक्टर, 747/1205 रकबा 0.15 हेक्टर, 757 रकबा 0.03 हेक्टर, 797 रकबा 0.36 हेक्टर, 798 रकबा 0.30 हेक्टर, 800 रकबा 0.20 हेक्टर, 803 रकबा 0.31 हेक्टर, 822 रकबा 0.41 हेक्टर, 94 रकबा 0.16 हेक्टर, 95 रकबा 0.20 हेक्टर, 96 रकबा 0.11 हेक्टर, 98 रकबा 0.08 हेक्टर कुल खेत किता 37, कुल रकबा 5.27 हेक्टर वाके गांव उदेला तहसील अरथुना जिला बांसवाडा मे स्थित होकर वादी एवं उसके भाई अपनी भूमि पर काश्त करते चले आ रहे है। यह कि वादी की भूमि मे वादी व उसके भाईयो की उक्त संयुक्त भूमि मे उनके के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का कोई हक व अधिकार नही है। वादी व उसके भाई निर्बाध रूप से उक्त भूमि का उपयोग व उपभोग करते हुए अपना व अपने परिवार का पोषण कर रहे है। प्रतिवादी का वादी की भूमि पर कोई हक एवं अधिकार नही है परन्तु प्रतिवादी वादी की भूमि मे अनाधिकृत कब्जा करना चाहता है, इस आशय से आज से करीब 04 रोज पुर्व वादी की भूमि मे अनाधिकृत प्रवेशकर निर्माण करने की नियत से निर्माण सामग्री डाल निर्माण करने आमादा है। वादी को जैसे ही इस बात की जानकारी हुई तो जाकर प्रतिवादी को समझाया की मेरी भूमि पर तुम काम नही कर सकते तुम्हारा यहा पर कुछ नही है तो प्रतिवादी लडाई झगडे पर आमादा होकर वादी को धमकी देने लगा की इस जमीन पर आये तो हाथ पैर तोड दूंगा। तुम्हे जो करना है कर लो मैं यहा निर्माण करूंगा। प्रतिवादी, वादी की भूमि जबरन हडपना चाहता है जिसे रोका जाना आवश्यक है। प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा नहीं रोका जाता है तो प्रतिवादी वादी की भूमि पर कब्जा कर वादी की भूमि हडपने में कामयाब हो जायेगा जिससे वादी को भारी क्षति होगी। वादी अपनी भूमि पर काश्त नहीं कर पायेगा। जिस कारण से वादी के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने व वादी की भूमि मे उसकी निर्बाध काश्त मे रुकावट नही पैदा करने के लिए प्रतिवादी को रोका जाना आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2023.01.30 11:23:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाडा

Scanned by CamScanner

वादी को वाद हेतु आज से 04 रोज पुर्व प्रतिवादी द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि मे जबरन बिना किसी अधिकार के अतिक्रमण निर्माण सामग्री डालने एवं बावजुद रोकने नही मानने से उत्पन्न हुआ है। अतः वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी स्वीकार कर वाद पत्र के पैरा 01 में वर्णित भूमि मे प्रतिवादी अतिक्रमण नही करे न ही किसी अन्य से करावे, न ही वादी की शान्तीपूर्ण काश्त मे व्यवधान पैदा करे, तथा वादी की भूमि मे अनाधिकृत निर्माण नही करे इस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री सादर फरमाने, वाद व्यय व अभिभाषक शुल्क दिलाने एवं अनुतोष जो न्यायसंगत हो धारा 209 आर.टी. एक्ट में न्यायोचित हो वादी को दिलाने वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रस्तुत हुआ।

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी के नाम सम्मन जारी किये जाने पर प्रतिवादी की ओर से श्री धर्मेन्द्र सिंह चौहान, अभिभाषक का वकालातनाम पेश हुआ। प्रकरण में प्रतिवादी को जवाब प्रस्तुत करने हेतु समुचित समय दिये जाने पश्चात भी जवाब पेश नहीं होने पर प्रतिवादी का जवाब बन्द किया गया है।

प्रकरण में बहस सुनी गई बहस पर मनन् एंव वादी की ओर से प्रस्तुत वाद, संलग्न जमाबन्दी संवत 2075 से 2078, का संक्षिप्त अवलोकन करने तथा मानीय राजस्व मण्डल अजमेंर का न्यायिक दृष्टान्त 1994 आर.आर.डी. 529 ''झबार बनाम श्रीमती दूर्गा'' में खातेदार की खातेदारी भूमि पर खातेदारान् का दौराने वाद कब्जा नही होने पर भी तथा प्रतिवादीगण द्वारा खातेदार की भूमि पर अपने कब्जे को कानूनी रूप से वैद्य सिद्ध नही कर पाने की स्थिति में भी वादी के पक्ष में धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद निर्णित करतें हुऐ मौके पर प्रतिवादीगण का कब्जा हटाने स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना न्यायोचित है।

अतः पटवार हल्का बखतपुरा के मौजा उदेला की खाता संख्या 64 नया 49 पुराना के आराजी नम्बर 108 रकबा 0.06 हेक्टर, 109 रकबा 0.10 हेक्टर, 190 रकबा 0.06 हेक्टर, 191 रकबा 0.05 हेक्टर, 192 रकबा 0.04 हेक्टर, 193 रकबा 0.16 हेक्टर, 207 रकबा 0.20 हेक्टर, 209 रकबा 0.09 हेक्टर, 216 रकबा 0.02 हेक्टर, 220 रकबा 0.13 हेक्टर, 226 रकबा 0.09 हेक्टर, 227 रकबा 0.11 हेक्टर, 370 रकबा 0.06 हेक्टर, 374 रकबा 0.09 हेक्टर, 375 रकबा 0.14 हेक्टर, 401 रकबा 0.41 हेक्टर, 425 रकबा 0.05 हेक्टर, 463 रकवा 0.04 हेक्टर, 464 रकबा 0.03 हेक्टर, 586 रकबा 0.12 हेक्टर, 587 रकबा 0.05 हेक्टर, 595 रकबा 0.16 हेक्टर, 646 रकबा 0.15 हेक्टर, 647 रकबा 0.16 हेक्टर, 659 रकबा 0.13 हेक्टर, 739 रकबा 0.25 हेक्टर, 747/1205 रकबा 0.15 हेक्टर, 757 रकबा 0.03 हेक्टर, 797 रकबा 0.36 हेक्टर, 798 रकबा 0.30 हेक्टर, 800 रकबा 0.20 हेक्टर, 803 रकबा 0.31 हेक्टर, 822 रकबा 0.41 हेक्टर, 94 रकबा 0.16 हेक्टर, 95 रकबा 0.20 हेक्टर, 96 रकबा 0.11 हेक्टर, 98 रकबा 0.08 हेक्टर कुल खेत नंग 37 कुल रकबा 5.27 हेक्टर वादी की खातेदारी भूमि में शांन्तिपूर्ण उपयोग/उपभोग कृषि में किसी प्रकार की बाधा व रूकावट उत्पन्न नहीं करने तथा न ही अपने चिर-परिचित से ऐसा कोई कृत्य कराने जिससे वादी को अपनी खातेदारी भूमि की काश्त में रूकावट/व्यवधान पेदा हो इस हेतु प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है।

(अंजु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2023.01.30 11:23:47 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

पटवार हल्का बखतपुरा के मौजा उदेला की खाता संख्या 64 नया 49 पुराना के आराजी नम्बर 108 रकबा 0.06 हेक्टर, 109 रकबा 0.10 हेक्टर, 190 रकबा 0.06 हेक्टर, 191 रकबा 0.05 हेक्टर, 192 रकबा 0.04 हेक्टर, 193 रकबा 0.16 हेक्टर, 207 रकबा 0.20 हेक्टर, 209 रकबा 0.09 हेक्टर, 216 रकबा 0.02 हेक्टर, 220 रकबा 0.13 हेक्टर, 226 रकबा 0.09 हेक्टर, 227 रकबा 0.11 हेक्टर, 370 रकबा 0.06 हेक्टर, 374 रकबा 0.09 हेक्टर, 375 रकबा 0.14 हेक्टर, 401 रकबा 0.41 हेक्टर, 425 रकबा 0.05 हेक्टर, 463 रकवा 0.04 हेक्टर, 464 रकबा 0.03 हेक्टर, 586 रकबा 0.12 हेक्टर, 587 रकबा 0.05 हेक्टर, 595 रकबा 0.16 हेक्टर, 646 रकबा 0.15 हेक्टर, 647 रकबा 0.16 हेक्टर, 659 रकबा 0.13 हेक्टर, 739 रकबा 0.25 हेक्टर, 747/1205 रकबा 0.15 हेक्टर, 757 रकबा 0.03 हेक्टर,

Scanned by CamScanner

797 रकबा 0.36 हेक्टर, 798 रकबा 0.30 हेक्टर, 800 रकबा 0.20 हेक्टर, 803 रकबा 0.31 हेक्टर, 822 रकबा 0.41 हेक्टर, 94 रकबा 0.16 हेक्टर, 95 रकबा 0.20 हेक्टर, 96 रकबा 0.11 हेक्टर, 98 रकबा 0.08 हेक्टर कुल खेत नंग 37 कुल रकबा 5.27 हेक्टर वादी की खातेदारी भूमि में शांन्तिपूर्ण उपयोग/उपभोग कृषि में किसी प्रकार की बाधा व रूकावट उत्पन्न नहीं करने तथा न ही अपने चिर–परिचित से ऐसा कोई कृत्य कराने जिससे वादी को अपनी खातेदारी भूमि की काश्त में रूकावट/व्यवधान पेदा हो इस हेतु प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा पावन्द किया जाकर इस आशय की डिक्री पृथक से जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 12.01.2023 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बाँसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2023.01.30 11:23:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : गढ़ी व इजलास : अंजु शर्मा

प्रकरण संख्याः 2021/164

उनवान

1) गटु पिता लालु जाति भील उम्र वयस्क निवासी उदेला तहसील अरथुना जिला बांसवाडा (राज.) ।

:—वादी

बनाम

1) कमलीया पिता बकोर प्रजापत जाति प्रतापत उम्र वयस्क निवासी उदेला तहसील अरथुना जिला बांसवाडा (राज.)

2) श्रीमान् तहसीलदार साहब अरथुना जिला बांसवाडा (राज.) ।

:— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 12.01 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अभिभाषकगण पेश होकर हुक्म दिया जाता हैं कि पटवार हल्का बखतपुरा के मौजा उदेला की खाता संख्या 64 नया 49 पुराना के आराजी नम्बर 108 रकबा 0.06 हेक्टर, 109 रकबा 0.10 हेक्टर, 190 रकबा 0.06 हेक्टर, 191 रकबा 0.05 हेक्टर, 192 रकबा 0.04 हेक्टर, 193 रकबा 0.16 हेक्टर, 207 रकबा 0.20 हेक्टर, 209 रकबा 0.09 हेक्टर, 216 रकबा 0.02 हेक्टर, 220 रकबा 0.13 हेक्टर, 226 रकबा 0.09 हेक्टर, 227 रकबा 0.11 हेक्टर, 370 रकबा 0.06 हेक्टर, 374 रकबा 0.09 हेक्टर, 375 रकबा 0.14 हेक्टर, 401 रकबा 0.41 हेक्टर, 425 रकबा 0.05 हेक्टर, 463 रकवा 0.04 हेक्टर, 464 रकबा 0.03 हेक्टर, 586 रकबा 0.12 हेक्टर, 587 रकबा 0.05 हेक्टर, 595 रकबा 0.16 हेक्टर, 646 रकबा 0.15 हेक्टर, 647 रकबा 0.16 हेक्टर, 659 रकबा 0.13 हेक्टर, 739 रकबा 0.25 हेक्टर, 747/1205 रकबा 0.15 हेक्टर, 757 रकबा 0.03 हेक्टर, 797 रकबा 0.36 हेक्टर, 798 रकबा 0.30 हेक्टर, 800 रकबा 0.20 हेक्टर, 803 रकबा 0.31 हेक्टर, 822 रकबा 0.41 हेक्टर, 94 रकबा 0.16 हेक्टर, 95 रकबा 0.20 हेक्टर, 96 रकबा 0.11 हेक्टर, 98 रकबा 0.08 हेक्टर कुल खेत नंग 37 कुल रकबा 5.27 हेक्टर भूमि में प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का अनुचित कार्य, अतिक्रमण, निर्माण नहीं करें एवं न ही किसी अन्य से कोई ऐसा कृत्य करावें जिससे वादी को अपनी खातेदारी भूमि में व्यवधान पैदा होने। इस आशय की डिकी जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 12.01 2023 को जारी की गई।

(अंजु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
गढ़ी

मुदई	रूपया पैसा	मुद्दवायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा [illegible]	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फी[illegible]मिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	[illegible] इजराय [illegible]नामा	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		
कुल	शून्य	कुल	शून्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2023.01.30 11:23:47 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Scanned by CamScanner

12.1.23. पत्रावली पेश हुई। वकुमाम उपस्थित। प्रतिवादी को जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने उपरान्त भी जवाब पेश नहीं किया। लिहाजा प्रतिवादी का जवाब बंद किया जा कर। पत्रावली में वकुमाम की बहस सुनी गई। बहस पर मनन एवं पत्रावली में प्रस्तुत वाद, अभिलेख का संक्षिप्त अवलोकन किया जा कर पत्रावली में निर्णय / डिक्री पृथक से जारी की जा कर पत्रावली फैसल शुमार कर दाखिल दफ्तर की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2023.01.30 11:23:47 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner